



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180013

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4401 सन् 2026

एक्स किशोर

..... पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

..... विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. विपक्षी पक्षकार को नोटिस पहले ही तामील किया जा चुका है, किंतु राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के अतिरिक्त उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा 102 के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार किया जाए तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-3, गोरखपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 74 सन् 2026 (किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य) से संबंधित पारित दिनांक 11.06.2026 के निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाए, जिसके द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 167 सन् 2025, धारा 191(2), 3(5), 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना तिवारीपुर, जनपद गोरखपुर से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उत्पन्न, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, गोरखपुर द्वारा पारित दिनांक 05.05.2026 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षणवादी की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया है।

4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में वह निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि घटनास्थल से विवेचना अधिकारी द्वारा शराब की खाली बोतल तथा उपयोग किए गए गिलास भी एकत्र किए गए थे, जो यह दर्शाते हैं कि अभियुक्तगण ने शराब पी थी और सह-अभियुक्तगण तथा मृतक के बीच झगड़ा हुआ था, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि मृतक की हत्या करने का कोई उद्देश्य या आशय नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि वर्तमान पुनरीक्षणवादी भी अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ अपराध करने तथा मृतक के शरीर पर चोट पहुंचाने में सम्मिलित था। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि मृतक के सिर पर केवल एक चोट पाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, जैसा कि शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक की राय के अनुसार है। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत आवेदन का निर्णय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को निरस्त करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अपचारी दिनांक 21.07.2025 से किशोर देखरेख गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, अतः किशोर न्याय बोर्ड तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने तथा आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का विरोध किया।

6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, अपचारी की आयु एवं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसके संप्रेक्षण गृह में रहने की अवधि, जिला परीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों एवं जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर समुचित रूप से विचार नहीं किया है, बल्कि अपना न्यायिक विवेक प्रयोग किए बगैर आदेश पारित किया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित दिनांक **05.05.2026** के आदेश तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक **11.06.2026** के आदेश एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण **एतद्वारा** स्वीकार किया जाता है।

8. यह निर्देशित किया जाता है कि **गंगा गौड़ के पुत्र एक्स किशोर** को पुनरीक्षणवादी (अपचारी के विधिक संरक्षक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत किए जाने पर, संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा किए जाने के पश्चात पुनरीक्षणवादी को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा तथा आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति न की जाए।

(ii) पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक इस आशय का वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगा कि किशोर उपयुक्त स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसे अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) किशोर और पुनरीक्षणवादी/प्राकृतिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा तथा नियमित रूप से उसकी सामाजिक विवेचना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी आवधिकता के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करें।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

25 अगस्त, 2026

टी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”